राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक : प. 3(11)शिक्षा–4/2005–पार्ट–03037 जयपुर, दिनांक

आदेश

मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगरार (चित्तौड़गढ़) के विरुद्ध फर्जी डिग्रियों के निर्गमन एवं अन्य गंभीर अनियमितताओं के संबंध में विभाग द्वारा संभागीय आयुक्त, उदयपुर के संयोजन में गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदनों में इंगित गंभीर अनियमितताओं के आधार पर मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ अधिनियम, 2009 की धारा 44 (1) के अंतर्गत मेवाड़ विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर विभागीय स्तर पर परीक्षणाधीन है।

इसी क्रम में, फर्जी डिग्री प्रकरणों की जांच के दौरान एसओजी पुलिस द्वारा मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगरार, चित्तौड़गढ़ के कार्मिकों/पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर गिरफ्तारियां करने के प्रकरण भी विभाग के संज्ञान में आए हैं।

राज्य सरकार के संज्ञान में आए उपरोक्त तथ्यों, विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्रक्रियाधीन जांचों, मेवाड़ विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44(1) के अंतर्गत विचाराधीन कार्रवाई तथा मेवाड़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 32, 34 एवं 35 के उल्लंघन की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता व विद्यार्थियों के हित में एवं जनहित में मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगरार (चित्तौड़गढ़) में समस्त पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश पर आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. मुकेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करवाने का श्रम करावें।
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
8. सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
9. सचिव, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, 1–300, तृतीय तल, टॉवर–1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली।
10. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, पॉकेट–14, सेक्टर–8, द्वारिका फेज–1, नई दिल्ली–110077
11. सचिव, डेन्टल कौंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल डेंटल कमीशन बिल्डिंग, प्लॉट नं. 14,, सेक्टर–9, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110022
12. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इंडिया, 21, रोज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाल भवन के पास, नई दिल्ली–110002

RajKaj Ref No.:
22551205

Signed by: MUKESH KUMAR SHARMA,
Joint Secretary
Date: 2026-06-01
14:47:48 +05:30

v-1.0

13. सदस्य सचिव, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्यूकेशन, जी–7, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075
14. चेयरपर्सन, प्रेसिडेण्ट एवं कुलसचिव, मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगरार, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करें।
15. अध्यक्ष, मेवाड़ एजुकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ़।
16. कुलसचिव, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्णय से समाचार पत्रों के माध्यम से अभिभावकों/विद्यार्थियों को सूचित कराने का श्रम करें।
18. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

RajKaj Ref No.:
22551205

Signed by: MUKESH KUMAR SHARMA, Joint Secretary
Date: 2026-06-01 14:47:48 +05:30

v-1.0